

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रा गौरी राईल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

920

दिनांक: 22/9/2022

आधारशिला बिल्डस्टेट एलएलपी,
जरिये साझेदार श्री अंकुर कोठारी पुत्र श्री धनपतसिंह कोठारी,
एवं श्री फलेन्द्र दीवान पुत्र श्री सुरेश कुमार दीवान
पंजीकृत कार्यालय डी-73, कुसुम विहार,
जगतपुरा, जयपुर।

विषय: निजी खातेदारी की योजना कनक वृन्दावन-जी ब्लॉक के उपविभाजित भूखण्ड संख्या जीएच-2ए क्षेत्रफल 2194.08 वर्गगज(1834.53 वर्गमी.) के आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
संदर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.09.2022 के क्रम में निजी खातेदारी की योजना कनक वृन्दावन-जी ब्लॉक के उपविभाजित भूखण्ड संख्या जीएच-2ए क्षेत्रफल 2194.08 वर्गगज (1834.53 वर्गमी.) के आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन, जिसमें बेसमेंट + स्टिल्ट + 6 तल अर्थात स्टिल्ट+18.0 मीटर ऊँचाई के भवन अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे, जिसकी स्वीकृति जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.09.2022 में लिए गये निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.11.5 के अनुसार सौर उर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन-7) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-7) को दी जानी होगी। यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी,
जोन 7 जविप्रा जयपुर।

में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

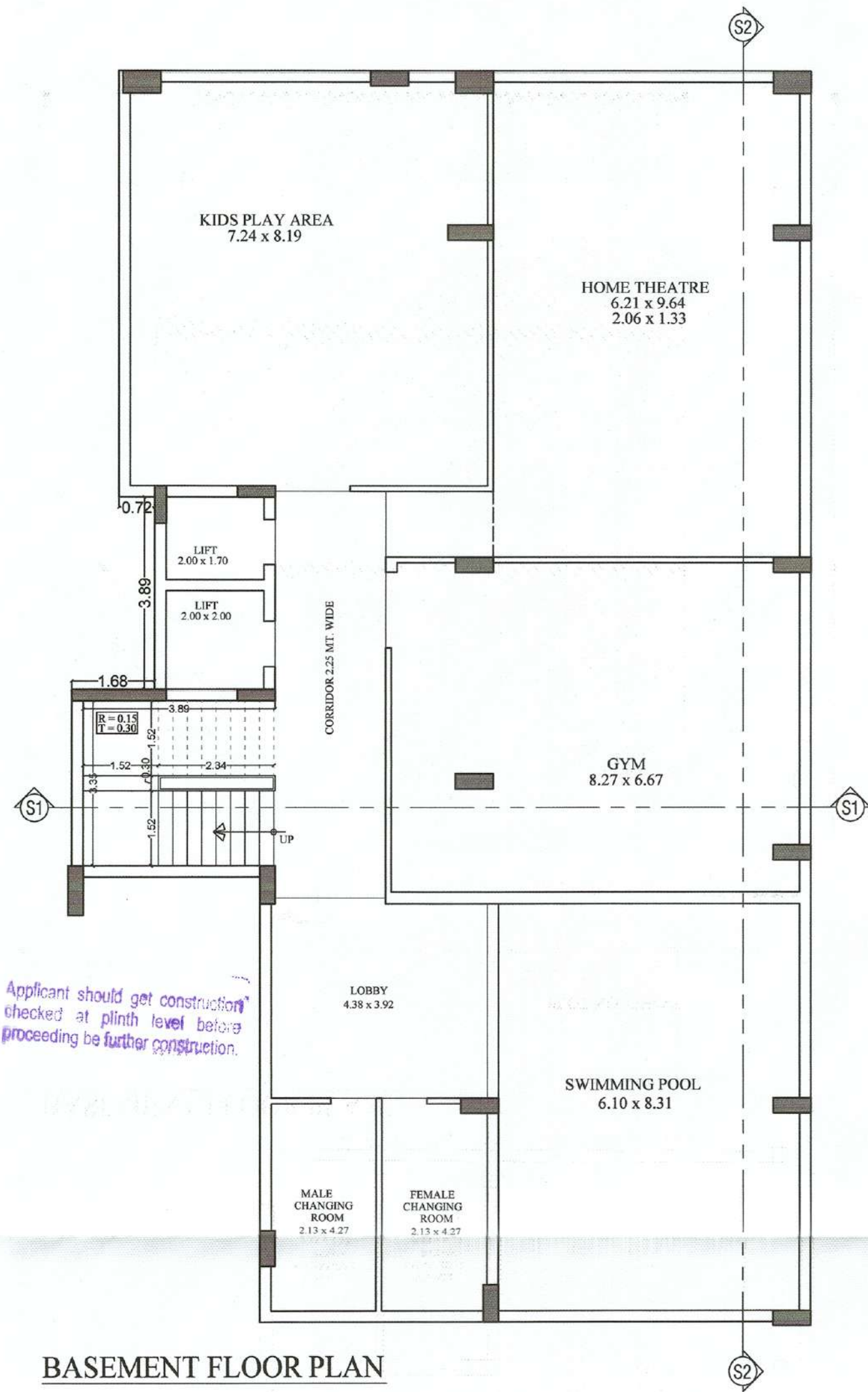
13. दरवाजे एवं खिड़कियों इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत (आवासीय भू-उपयोग) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लैट्सों की संख्या के साथ सम्बन्धित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राइवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जायें।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
23. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे, जिसके पास भवन का मानचित्र सुरक्षा का निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाइल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
24. भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्योरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

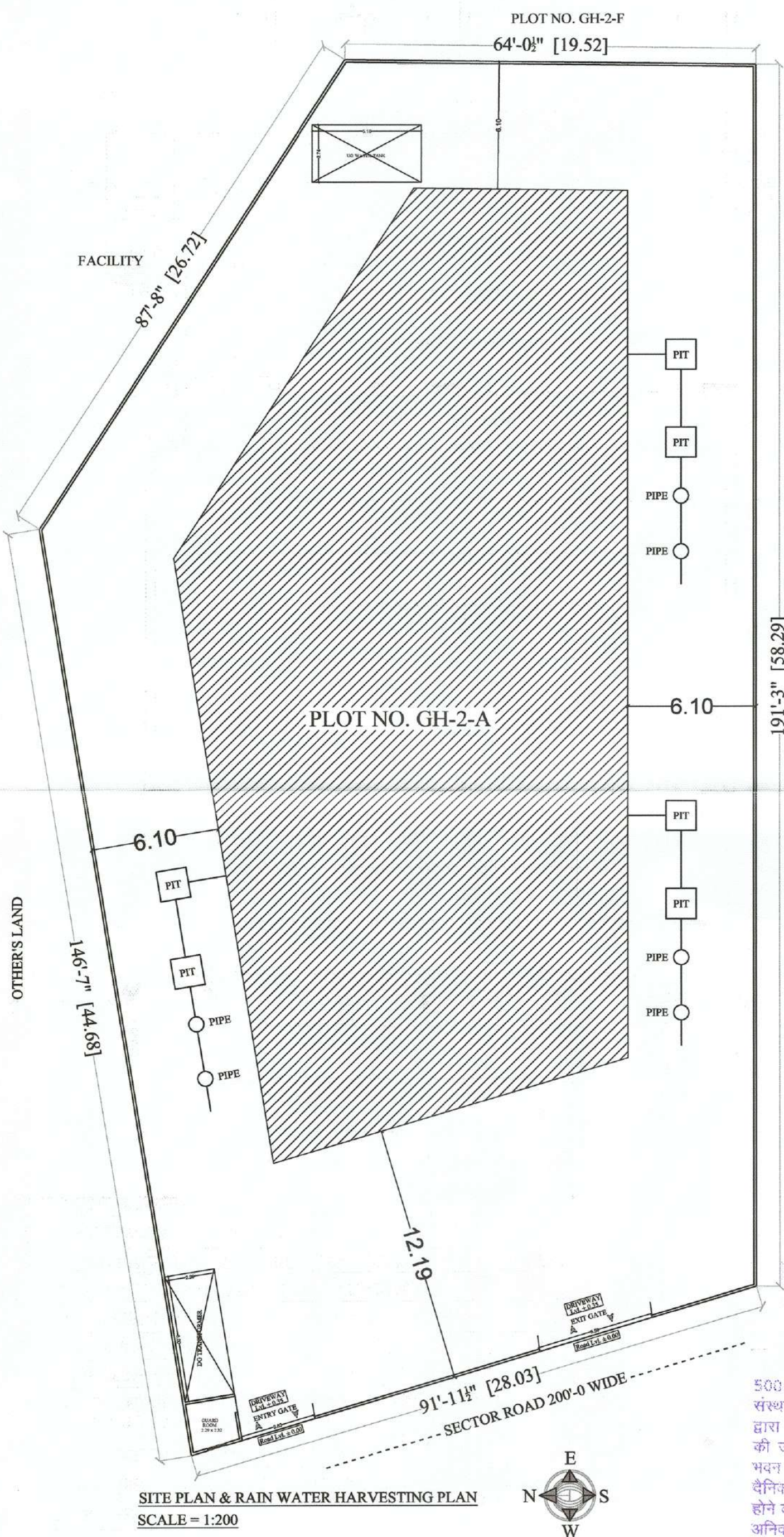
1. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
2. प्रवर्तन अधिकारी जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।
जोन 7 जविप्रा जयपुर।

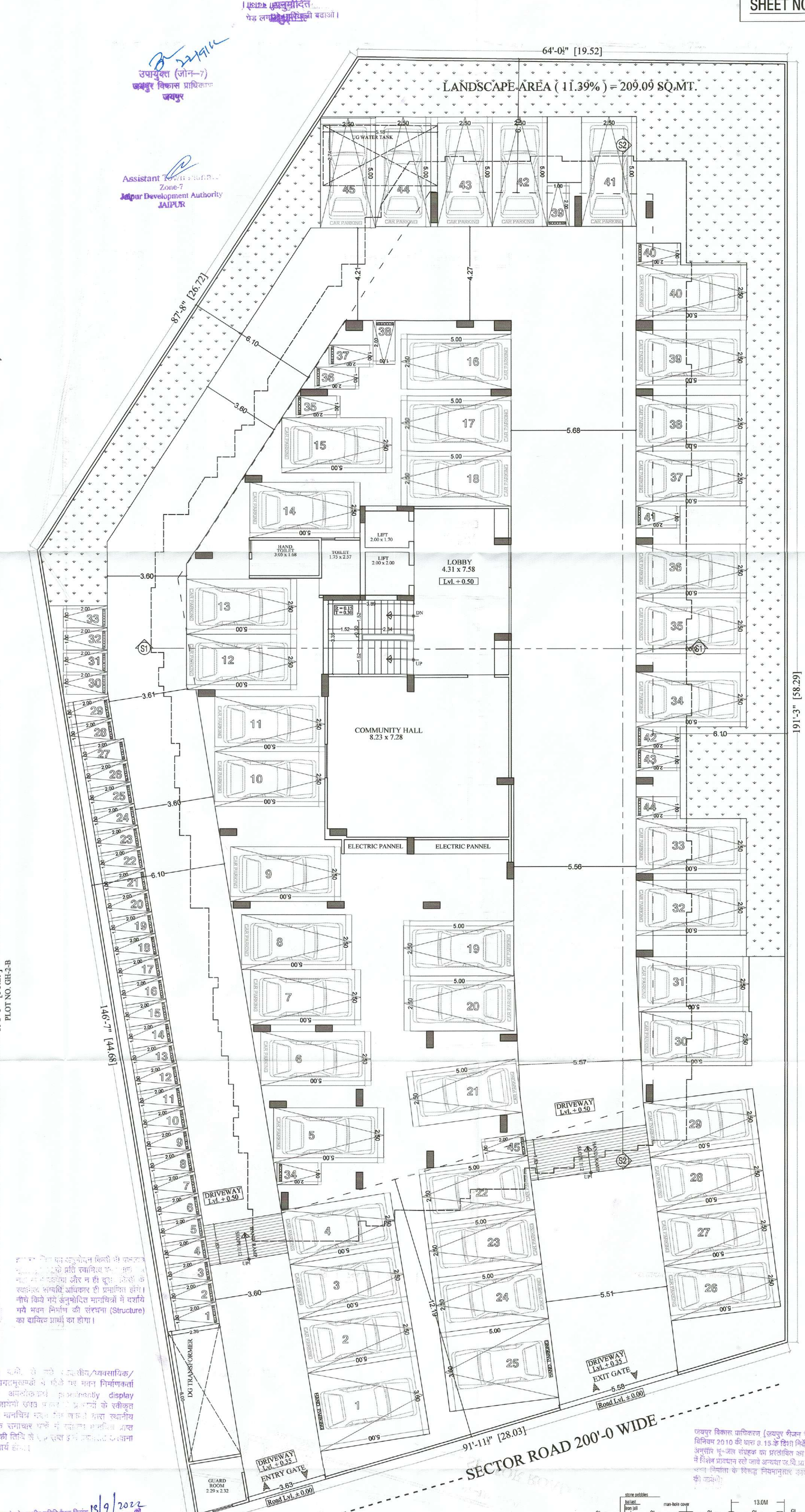
उपायुक्त जोन-7
जविप्रा, जयपुर।



BASEMENT FLOOR PLAN



SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN
SCALE = 1:200



STILT FLOOR PLAN

S.NO.	REFERENCE :-
1.	PLOT AREA = 1834.53 SQ.MT. (2194.08 SQ.YD.)
2.	STANDARD B.A.R. = 1834.53 X 2.00 = 3669.06 SQ.MT.
3.	ACHIVED B.A.R. = 6100.80 SQ.MT. (3.32) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (6100.80) - (3669.06) = 2431.74 SQ.MT.
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
6.	PERMISSABLE LANDSCAPE AREA (10.00%) = 183.45 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (11.39%) = 209.09 SQ.MT.
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = (60.0 X 1.5) + 12.0 = 102.00 M
9.	PROPOSED HEIGHT = 0.50 (PLINTH) + 3.60 (STILT) + 18 = 22.10 M
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENTIAL = 6100.80 / 115 = 53.05 + 10% (VISITOR PARKING) = 58.35 CAR = 44, SCOOTER = 44
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 45, SCOOTER = 45 (60.00 E.C.U.)

CLUB AREA REQUIRED ON STILT FLOOR:-
REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. (120.11 SQ.MT.)
OR 50.0 SQ.MT. (WHICH EVER IS LESS)
PROPOSED CLUB ON STILT = 74.82 SQ.MT.

PROPOSED E.C.U.	CAR	SCOOTERS
STILT FLOOR	25	12
OPEN TO SKY	20	33
TOTAL	45	45
	(60.00 E.C.U.)	

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA	CUTOUT	GROSS BUILTUP	CHAJJA/ELEVATION TREATMENT	LIFT WELL	B.A.R.	CLUB HOUSE
1	BASEMENT	331.46	-	331.46	-	7.40	324.06	-
2	STILT FLOOR	980.98	-	980.98	-	7.40	74.82	74.82
3	1ST FLOOR	980.98	12.39	968.59	10.87	7.40	950.32	-
4	2ND FLOOR	980.98	12.39	968.59	10.87	7.40	950.32	-
5	3RD FLOOR	980.98	12.39	968.59	10.87	7.40	950.32	-
6	4TH FLOOR	980.98	12.39	968.59	10.87	7.40	950.32	-
7	5TH FLOOR	980.98	12.39	968.59	10.87	7.40	950.32	-
8	6TH FLOOR	980.98	12.39	968.59	10.87	7.40	950.32	-
9	MUMTY/STAIR	-	-	122.42	-	-	-	-
10	TOTAL	-	-	7280.91	-	-	6100.80	74.82

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. GH - 2-A, SCHEME: KANAK VRINDAVAN (BLOCK-G)
AT SIRSI ROAD, JAIPUR

OWNER
Adharshila Buildstate LLP
Partner

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email- info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/25451
SCALE = 1:100

प्रकरण को जोष पदार्थ... 13/9/22 को
रखा जाय...
जमिना/उपा/जम-07... 9/0 दिनांक 22/9/2022
को जारी क अनुसारित किया गया है

संलग्न विचार प्रतिक्रिया (जयपुर सैन्य भवन)
दिनांक 27.10 की धारा 8.15 के दिनांक निर्देश के
अनुसार भू-चल संश्लेषण का प्रस्तावित का भवन
संलग्न प्रमाण रखे जावे अन्यथा ज.वि.प्र. द्वारा
संलग्न विचार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही
का प्रतीति।

अनुमोदित
पेड़ लयाखो-हरियाली बढाओ।

उपस्थित (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Assistant Town Engineer
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR

TYPICAL FLOOR PLAN (1ST TO 5TH)

6th FLOOR PLAN

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/98/25451
SCALE = 1:100

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENCIAL BUILDING AT
PLOT NO. GH - 2-A, SCHEME: KANAK VRINDAVAN (BLOCK-G)
AT SIRSI ROAD ,JAIPUR

OWNER
Adhara Hills Buildestate LLP
F. Dizon Partner

ARCHITECT :-  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

[illegible]

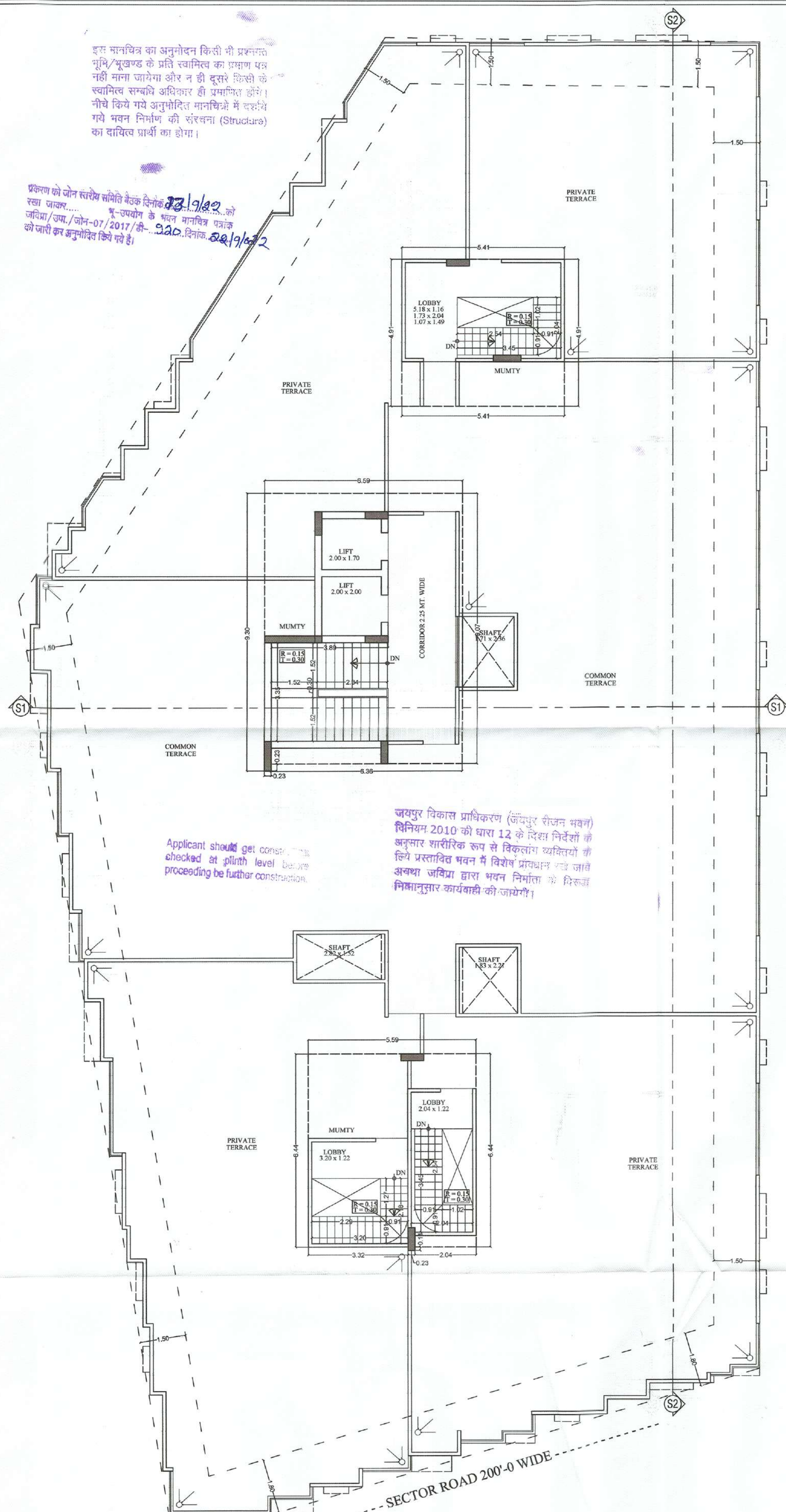
500 बी.सी. से बड़े आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत भूखण्डों में भी भूके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकनार्थ **prominently display** की जानेगी स्वतः प्रकाश की प्रकाशनों के संकेतक भवन भवनविषय भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित मानसिक मानचित्र होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित होना अनिवार्य होगा।

[illegible]

प्रकरण को जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 23/9/22 को
रखा जावक..... भू-उपयोग के भयन मानचित्र पत्रांक
जयप्रा/उपा./जोन-07/2017/डी- 920. दिनांक 23/9/22
को जारी कर अनुमोदन किये गये है।

अनुमोदित
पेड़ लगायो-हरियाल।
उपायुक्त (जोन-३)
कबीर विकास प्राधिका
प्रमुख

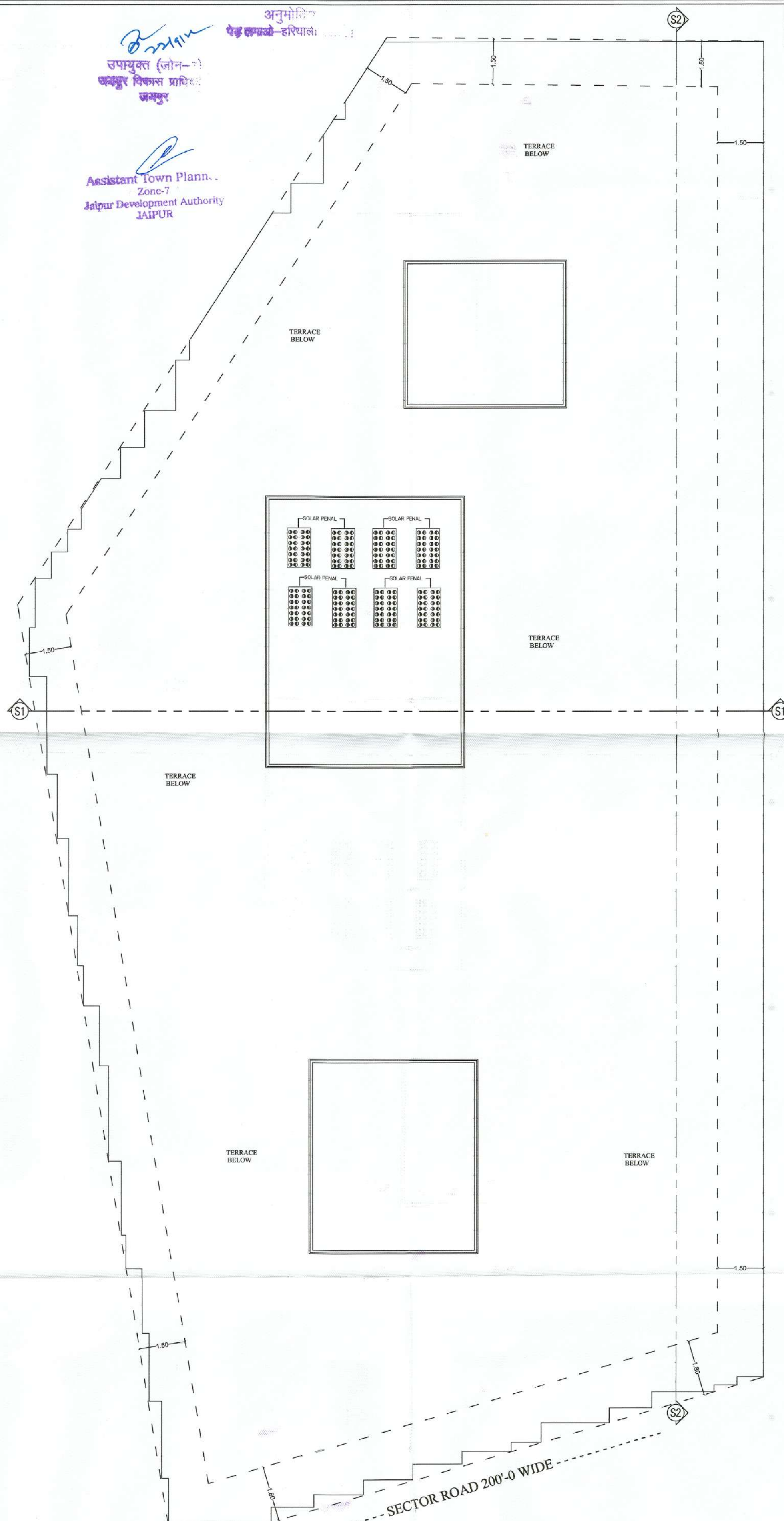
Assistant Town Plann.,
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR



TERRACE FLOOR PLAN

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
सिनिम 2010 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रायधान रख जावे
अथवा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता को दिखाने
निष्ठाानुसार कार्यवाही की जायगी।



MUMTY PLAN

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/08/25451

SCALE = 1:100

500 वमी. से गड़े आवाज। 'वसायिक/ संस्थागतमूलखण्ड: में (हैकें भर मा. पणिकर्ता) द्वारा अवलोकनार्थ प्रदर्शित। 'display' को जायेगी उक्त प्रकल्प, 'display' को नामचित्र प्रदर्शित किया गया है। 'display' को लोक समाचार पत्रों से प्राप्त किया गया है। 'display' को लोक समाचार पत्रों से प्राप्त किया गया है। 'display' को लोक समाचार पत्रों से प्राप्त किया गया है।

अनुसार भू-जल संग्रहण एवं उपयोग के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जाएगी।



PROJECT :-
PROPOSED RESIDENCIAL BUILDING AT
PLOT NO. GH - 2-A, SCHEME: KANAK VRINDAVAN (BLOCK-G)
AT SIRSI ROAD ,JAIPUR

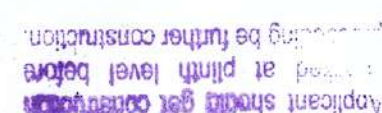
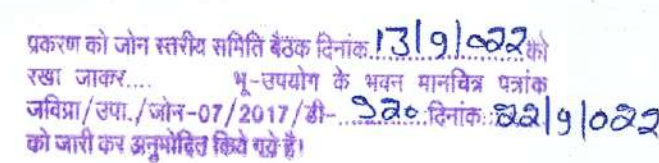
OWNER

Adharshila Buildestate LLP

[Signature] Partner

ARCHITECT :-  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

Assistant Town Planner
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR



जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/पुरुषण्ड को प्रति स्वाभिव्यक्ति का प्रमाण एवम नही माना जायेगा और न ही दूसरे विस्तर को स्वाभिव्यक्ति सम्बन्धि अधिकार ही प्रमाणित होंगे। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भूतन निर्माण की संरचना (Structure) का दायित्व प्रार्थी का होगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजनल अथॉरिटी)
 दिनांक 2010 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संग्रहण का प्रस्तावित का अथॉरिटी
 में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा ज.सि.पा. द्वारा
 निर्धारित निर्माता के डिस्क्रिट निर्माणानुसार कार्यवाही
 की जायेगी।

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
C-100/25431
SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENCIAL BUILDING AT
PLOT NO. GH - 2-A, SCHEME: KANAK VRINDAVAN (BLOCK-G)
AT SIRSI ROAD ,JAIPUR

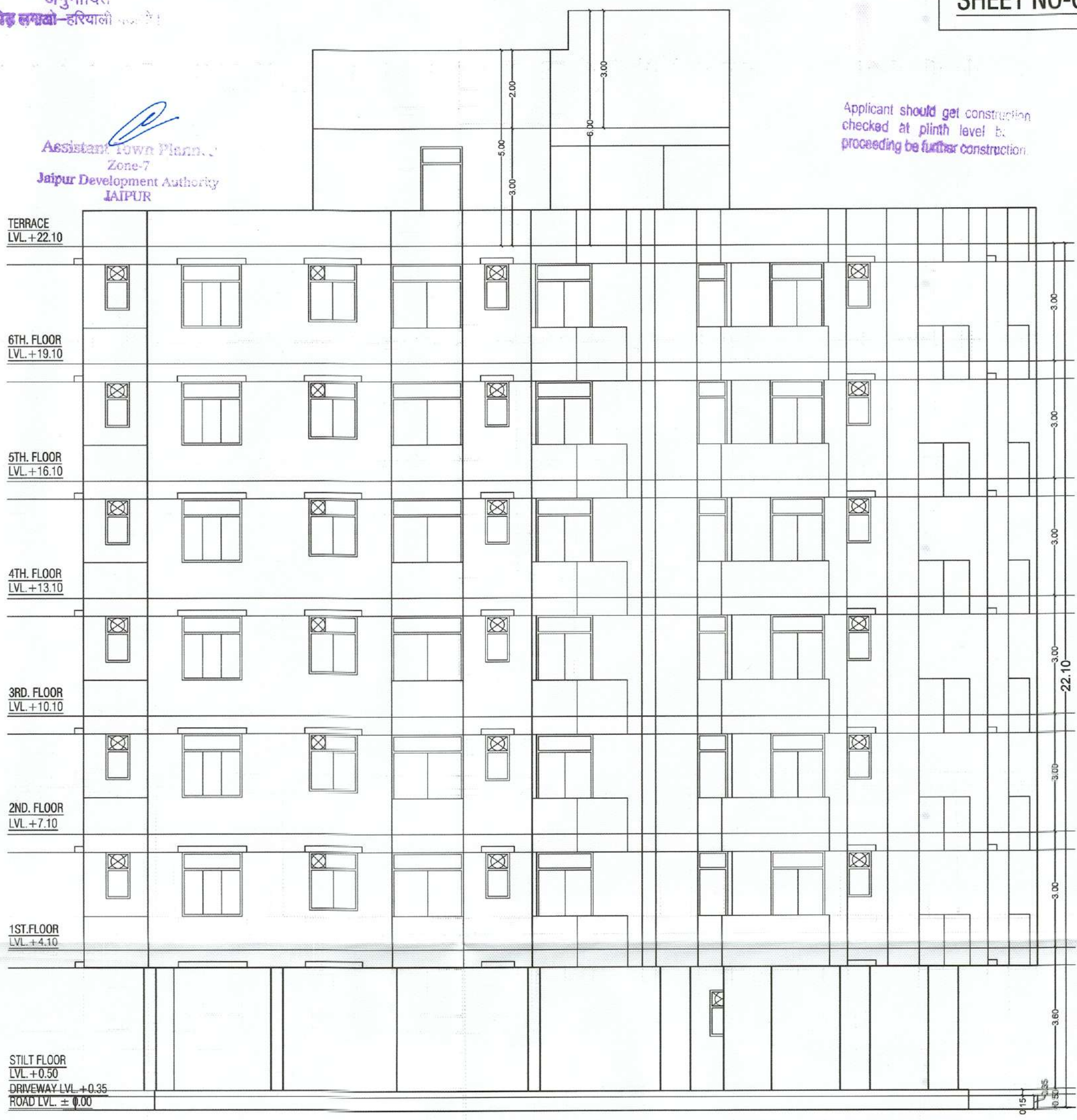
OWNER
Adharshila Buldestate LLP
L. Diwan
Partner

ARCHITECT :-  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

500 वमी. से बड़े पत्रकारों के संगठन मूकण्डों में शक्ति पर हम हार। अवलोकनार्थ प्रमाणों की प्राप्ति उक्त प्रकार के पत्रकारों भवन धानचित्र भवन निर्माता नैनिक समाचार पत्रों में स्वीकार होने की दिशि से एक सप्ताह अनिवार्य होगा।



FRONT ELEVATION



BACK ELEVATION

प्रमाण को जेल लवियर प्रमाणित दिनांक 13/10/2022 को रखा जाकर...
पुनः प्रमाणित के प्रमाण प्रमाणित प्रमाणित
जलिया/अप/अप-01/2017/अ-222 दिनांक 22/10/2022
को जारी कर अनुमोदित किया जा रहा है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन नवन)
विशेष 2010 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के
अनुसार सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे
अन्यथा जलिया द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन नवन)
विशेष 2010 की धारा 9.15 के दिशा निर्देशों के
अनुसार भवन में विकलांग व्यक्तियों के भवन
में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा
भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही
की जायेगी।



RIGHT SIDE ELEVATION

500 बर्फी से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/
संस्थागत/व्यावसायिक में भीड़ पर भवन निर्माणकर्ता
द्वारा आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत/व्यावसायिक
की जायेगी प्रमुख प्रवेश के प्रवेशों के स्वीकृत
भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्थानीय
सैनिक स्थापना घरों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त
होने की तिथि से एक सप्ताह में प्रकाशित करवाना
अनिवार्य होगा।

इस मानचित्र का अनुमोदित दिनांक 13/10/2022 को रखा जाकर...
पुनः प्रमाणित के प्रमाण प्रमाणित प्रमाणित
जलिया/अप/अप-01/2017/अ-222 दिनांक 22/10/2022
को जारी कर अनुमोदित किया जा रहा है।



LEFT SIDE ELEVATION

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENCIAL BUILDING AT
PLOT NO. GH - 2-A, SCHEME: KANAK VRINDAVAN (BLOCK-G)
AT SIRSI ROAD ,JAIPUR

OWNER
Adharshila Buildstate LLP
J. Dixit
Partner

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49 VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100

SHRI KRISHNA
ARCHITECT
25451